

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
बईजलास श्रीमति शिल्पा सिंह, (आई0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1- भैरू पिता गोपाल कहार नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता मु. शांति पत्नी गोपाल कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- अजय पिता गोपाल कहार नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता मु. शांति पत्नी गोपाल कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- मु. रिकू पुत्री गोपाल कहार नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता मु. शांति पत्नी गोपाल कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- वादीगण

बनाम

- 1-2 गोपाल, रामदेव पिता धन्ना कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- मु. रामपाली पुत्री धन्ना कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- पंकज पुत्र भंवरलाल सुगंधी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- रामप्रसाद पिता देबी कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- मु. सीता पिता देबी कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- मु. कंचन बेवा देबी कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8-10 दुर्गा, उदा, रामनाथ पिता खाना कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 11- मु. मोडी पिता खाना कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 12-13 मुकेश, राजू पिता मोहन कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 14- मु. काली पिता मोहन कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 15- मु. मैना पिता मोहन कहार नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक मोहन पिता कल्याण कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 16- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 48 सन् 2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।  
डिक्री दी जाती है कि :-

वाद पत्र में कार्यवाही नहीं चाहने से वाद पत्र विद्धो किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 26 माह 07 सन् 2021 को जारी की गई।



(शिल्पा सिंह आई0ए0एस0)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.